(b) The Programme of Action which is based on the Declaration calls for co-operation between non aligned and other developing countries in the areas of skill development to improve employbility of job seekers, improvement of employment services, immediate action for elimination of child labour in hazardous employments within a time frame with an overall plan for progressive elimination of child labour altogether, review and consolidation of labour standards within the ILO etc. Follow up action on all these matters will be taken by the Non-aligned and other developing countries within the NAM frame work and through its mechanisms of follow up, monitoring and co-operation.

भारतीय श्रम सम्मेलन

960. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन का दो दिवसीय 31वां अधिवेशन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में सरकार तथा श्रमिक संगठनों के कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में किस-किस विषय पर चर्चा की गई और सरकार द्वारा सम्मेलन में चर्चा की गई बातों पर अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा):

(क) जी, हां। 3 और 4 जनवरी, 1995 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन का 31वां सत्र आयोजित किया गया था।

(ख) श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार को 20 स्थान तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को 32 स्थानों के अलावा नियोजकों और कर्मकारों के संगठनों को 30–30 स्थान आबंटित किये जाते हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन के इस सत्र में कर्मकार संगठनों के 46 प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के 54 प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय सरकार के 21 प्रतिनधियों ने भाग लिया।

(ग) सम्मेलन की कार्यसूची में (i) आर्थिक सुधारों के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों और (ii) रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह समाधान निकाला गया कि (1) व्यापक औद्योगिक विधान को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सामाजिक प्रतिभागियों को मिलकर कार्य करना चाहिए, (2) क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके और उच्च गुणवत्ता वाला माल तथा सेवा का उत्पादन करने संबंधी उपायों/पद्धतियों के माध्यम से आर्थिक उद्यमों की उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, (3) भविष्य निधि अंदाताओं के लिए प्राथमिकता आधार पर पेंशन योजना शुरु की जानी चाहिए, (4) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रूग्ण औद्योगिक उद्यमो की शीघ्रता से जांच-पड़ताल की जानी चाहिए, (5) कर्मकारों के कौशल उन्नयन और पुनर्प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और (6) 2000 ई० तक जोखिमकारी उद्योगों में बल श्रम के उन्मूलन के लिए किए गए उपायों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रम और प्रस्ताव तैयार किए जाते समय सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

रोजगार लक्ष्य

961. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जठमलानी :

क्या श्रम मंत्री यह बताव की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000 के अंत तक देश में बेरोजगारी